



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मिश्र

Dr. Rajendra Prasad Mishra

कुलसचिव / Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फैक्स / Fax: +91-7152-230903

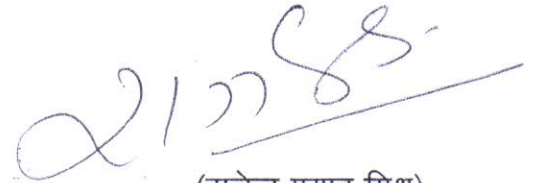
पत्रांक : 005/2015/प्र.स./01 (2)/699

दिनांक : 19. 10. 2015

कार्यालय आदेश

सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को प्रतिदिन तीन घंटे इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी जिसके लिए शुल्क रु.100/-प्रति सेमेस्टर निर्धारित की जाती है। साथ ही उक्त विद्यार्थियों को केंद्रीय पुस्तकालय की सुविधा प्रदान की जाती है।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्गत किया जाता है।


(राजेन्द्र प्रसाद मिश्र)

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय।
2. कुलसचिव कार्यालय।
3. कुलानुसाशक कार्यालय।
4. पुस्तकालयाध्यक्ष, महापंडित राहुल सांकृत्यायन केंद्रीय पुस्तकालय।
5. प्रभारी, लीला।
6. वित्त विभाग।
7. अधिष्ठाता, भाषा-विद्यापीठ।
8. संयुक्त कुलसचिव (अका.)।
9. लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
10. कार्यालय प्रति।